दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण में दलालों पर रोक लगाने हेतु कदम उठाया जाना

1928. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल आरक्षण में दलालों का बोलबाला पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार रेल गाड़ियों में आरक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान निर्धारित अवधि (60 दिन पूर्व आरक्षण) में कमी कर इसे पुनः एक माह या सिर्फ 15 दिन करने पर गंभीरता से विचार करना चाहेगी या ऐसा करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार साधारण जनता को किस प्रकार रेल आरक्षण उपलब्ध करायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) दिल्ली क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण रेल स्टेशनों और आरक्षण कार्यालयों में कदाचार और टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए अक्सर जांचें की जाती हैं। रेल परिसरों में और इसके इर्द-गिर्द कार्य कर रहे दलालों, असामाजिक और अनधिकृत तत्वों को गिरफ्तार किया जाता है और रेलवे अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अभियोजन के लिए पुलिस को सौंप दिया जाता है। विगत तीन माह मार्च से मई 98 के दौरान दिल्ली क्षेत्र में की गई अचानक जांचों के परिणामस्वरूप रेलवे आरक्षण के कदाचार में लिप्त 64 दलालों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अग्रिम आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई है ताकि यात्री व्यस्त अवधि के दौरान, जब आरक्षण प्राप्त करने में परेशानी होती है, अपनी यात्राओं का कार्यक्रम काफी पहले बना सकें।

रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा की गयी नियुक्तियों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराया जाना

1929. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी के बाद सभी रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा की गयी सभी नियुक्तियों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच के पश्चात् इस संबंध में धांधली एवं घोर अनियमितताएं पाये जाने पर की गयी सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार ने धांधली में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है या करने वाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी बोर्डों द्वारा की गयी नियुक्तियों की जांच नहीं कराये जाने पर योग्य बेरोजगार युवाओं पर क्या असर पड़ेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी नहीं। बहरहाल, जहां कहीं शिकायतें या अनियमितताएं नोटिस में आती हैं रेलवे सतर्कता जांच करेगा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाएगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्वतः भी शिकायतों की जांच करता है।

(ख) जहां कहीं भर्ती के सकल कुप्रबंध नोटिस में आते हैं, जहां कहीं आवश्यक हो भर्ती रद्द करने सहित उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाएगी;

(ग) जी हां, जांच पड़ताल के आधार पर मुकदमा या विभागीय कार्रवाई सहित उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी; और

(घ) हाल ही में, रेल सतर्कता द्वारा की गई जांच के आधार पर दो अध्यक्षों यथा अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद और अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, भोपाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, रेल सतर्कता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, रेल भर्ती बोर्ड/अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उपरोक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमित मामले दर्ज किए गए हैं, इसके अलावा, सभी रेल भर्ती बोर्डों के नए अध्यक्षों को अनुदेश दिए गए हैं कि जहां-कहीं अनियमितता पकड़ी जाए तो उसे पूर्ण विवरण सहित उपयुक्त निर्णय/कार्रवाई के लिए रेल मंत्रालय में भेजा जाए,

ग्रीष्मकाल में अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाया जाना

1930. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रीष्म काल में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के कारण इस दौरान रेलवे को अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अतिरिक्त यात्रियों की संख्या का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो 1995, 1996 तथा 1997 के ग्रीष्मकाल में यात्रियों की संख्या में कितनी-कितनी वृद्धि हुई;